10 हजार पांच सौ करोड़ रुपये रक्षा निर्यात हो गया है भारत का वित्त वर्ष 2018-19 में। निर्यात के मामले में पिछले दो वर्षों के दौरान सात गुना वृद्धि हुई है। मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया पर खास जोर दे रही है।

संयुक्त राष्ट्र में एनआरसी की गलत व्याख्या पर भारत ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि असम में एनआरसी को अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे के साथ गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करना एक संवैधानिक, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जाती है। एनआरसी का मुद्दा भारत में असम राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा नहीं है।

त्रिपाठी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक) के एक सत्र में कहा कि हम निराश हैं कि यह मुद्दा अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे के साथ गलत तरीके से जुड़ा हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक संवैधानिक सुरक्षा अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी ने अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वर्नेज की ओर से की गई टिप्पणियों का जवाब देने के लिए मंच का उपयोग किया। फर्नांड ने एनआरसी मुद्दे पर कहा था कि यह संभावित मानवीय संकट में योगदान दे सकता है। हजारों की संख्या में जोखिम के कारण अस्थिर स्थिति और शायद लाखों लोग जो मुख्य रूप से भारत में बंगाली और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन्हें असम राज्य में विदेशी और संभावित गैर-नागरिक माना जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया में त्रिपाठी ने कहा कि एनआरसी से बाहर करने से असम के किसी भी निवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।

जिनका नाम अंतिम सूची में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। यह उन्हें एक बहिष्कृत या विदेशी नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि अधूरी समझ पर आधारित गलत निष्कर्षों में कूदने के बजाय न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।पालोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मानवाधिकार की वैधता सबसे अधिक कमजोर तब होती है जब एक लालची देश आतंकी नेटवर्कों की धुरी बनकर उन्हें सुरक्षित पनाहगाह देता है। दुर्भाग्य से एक और प्रतिनिधिमंडल ने हमारे देश के आंतरिक मामले में दखल देने का एक और प्रयास किया है। त्रिपाठी ने विगत सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी कमेटी (सामाजिक, मानवाधिकार और सांस्कृतिक) में किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के शिकार बहुत लोग हैं। लेकिन उन सबको पीड़ा देने वाले आतंकी नेटवर्क के आका इस देश (पाकिस्तान) में सारे ऐश-ओ-आराम और सुरक्षित पनाह पाते हैं।

पाक पर निशाना

- आंतरिक मुद्दे को अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़ने पर कहा- अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालना गलत
- मानवाधिकार सबसे अधिक कमजोर तब होता है जब एक देश आतंकी नेटवर्कों की सुरक्षित पनाहगाह बनता है

पालोमी त्रिपाठी फाइल फोटो

सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच संशोधित आरटीआइ कानून लागू

नई दिल्ली, प्रेट्र : सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच केंद्र ने गुरुवार को सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

कार्मिक मंत्रालय ने बिना किसी विस्तार के जारी अधिसूचना में कहा है, 'केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 के प्रावधानों को प्रभाव में लाने की तिथि 24 अक्टूबर 2019 तय कर दी है।' इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में जुलाई में पारित किया गया था, जबकि अगस्त में राष्ट्रपति ने इसे अनुमोदित कर दिया था।

हालांकि, सरकार के इस कदम का सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। उन्होंने इसे समिति की स्वतंत्रता पर आघात बताया था। तब कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि यह कदम जल्दबाजी में तैयार किए गए आरटीआइ कानून-2005 को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पहले इसमें कई कमियां रह गई थीं।

संशोधित कानून के तहत सरकार मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) व सूचना आयुक्तों (आइसी) के कार्यकाल से लेकर वेतन तक का निर्धारण कर सकती है। आरटीआइ कानून-2005 में सीआइसी व आइसी का कार्यकाल पांच साल या 65 वर्ष तक निर्धारित था, जबकि उनका वेतन चुनाव आयुक्तों के समान होता था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने हाल ही में कहा था कि आरटीआइ कानून में बदलाव नुकसानदेह हो सकते हैं।

सऊदी अरब और भारत में होगा रणनीतिक साझेदारी समझौता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और सऊदी अरब का रिश्ता बदल चुका है। इसका बड़ा उदाहरण अगले हफ्ते तब देखने को मिलेगा जब पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। वैसे इस यात्रा में आर्थिक सहयोग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे अहम बिंदु होगा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काउंसिल को लेकर की जाने वाली घोषणा। इस काउंसिल के तहत दो प्रमुख समितियां होंगी। एक समिति में दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री और दूसरी में वाणिज्य व वित्त मंत्री होंगे। इन दोनों समितियों के तहत भी कई उप समितियां होंगी जो दोनों देशों के भावी रिश्तों को तय करने पर समय-समय पर अहम सुझाव देंगी। सऊदी अरब इस तरह का समझौता सिर्फ आठ देशों के साथ कर रहा है।

पीएम मोदी की इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक मामले) टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि सऊदी अरब ने भारत, ब्रिटेन, यूएसए, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी काउंसिल स्थापित करने का फैसला किया है। भारत व सऊदी अरब के बीच गठित होने वाले परिषद की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान करेंगे। पीएम अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान रियाद में निवेश व कारोबार पर आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एफआइआइ में मुख्य वक्ता होंगे। इस सम्मेलन को पूर्व के दाओस की तर्ज पर जाना जाता है। दाओस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की तरफ से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित निवेश सम्मेलन का आयोजन होता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो त्रिमूर्ति का जवाब था, 'दोनों नेताओं के बीच क्या बात होती है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन भारत को यह पता है कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब हमारे पक्ष को बखूबी समझता है। वैसे भी फरवरी, 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत आने के बाद रिश्तों में गर्माहट और बढ़ गई है।'

पीएम की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम समझौते होने के भी उम्मीद है। एक समझौता भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित होने वाली रिफाइनरी में सऊदी कंपनी अरामको बड़ा निवेश करने जा रही है। यह भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। इंडियन आयल और सऊदी अरब की एक कंपनी में भी समझौता होगा जिसके बाद भारतीय तेल कंपनी वहां रिटेल कारोबार में उतर सकेगी। भारत में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार में सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाले निवेश के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सनद रहे कि सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर भी बात होगी। भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास इस वर्ष के अंत में होने जा रहा है। सऊदी अरब के सैन्य अफसरों को भी भारत में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे और बढ़ाया जाएगा। भारत की रक्षा उपकरण कंपनियां सउदी अरब को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। वहां रूपे कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी एक समझौता होगा।

- पीएम मोदी अगले हफ्ते मंगलवार को जाएंगे रियाद
- क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता
- भारत समेत आठ देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा सऊदी अरब

नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान (फाइल)

पीएमसी बैंक घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए वधावन पिता-पुत्र

मुंबई, प्रेट्र : एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित व एचडीआइएल के प्रवर्तक राकेश वधावन तथा उनके पुत्र सारंग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत अवधि खत्म होने के बाद हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राकेश व उनके बेटे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पी. राजवैद्य के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी ने जब हिरासत की मांग नहीं की तो कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले में वधावन पिता-पुत्र व बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने वधावन की कंपनी एचडीआइएल की बड़ी देनदारी को फर्जीवाड़े के जरिये नियामकों से छिपाने का प्रयास किया था। इसके लिए बैंक अधिकारियों ने एचडीआइएल के 44 कर्ज खातों को 21,049 फर्जी खातों में तब्दील कर दिया था। ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग की रिपोर्ट दर्ज की है।

नई शिक्षा नीति बदलेगी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का होगा गठन

बड़ा कदम ▶ मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे मुखिया, पहले बनना था आयोग

कैब की तर्ज पर राज्यों के साथ मिलकर शिक्षा सुधारों व नीति के अमल पर होगा काम

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति अब जल्द ही कुछ बड़े बदलावों के साथ सामने आएगी। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। जो बड़े बदलाव सामने आए हैं, उनमें शिक्षा को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जगह अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन सबसे अहम है। इसके मुखिया मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां बतौर सदस्य इसमें शामिल होंगे।

इससे पहले प्रस्तावित नीति में आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री को बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम का प्रस्ताव था। सूत्रों के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति को अंतिम रूप देते हुए इस सिफारिश को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके पीछे प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं बताई जा रही हैं, जिसके चलते उनके लिए ऐसे आयोगों की जिम्मेदारी को ठीक तरीके से देख पाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यह कैब (केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) की तर्ज पर ही राज्यों को साथ लेकर काम करेगी। हालांकि इसका मुख्य फोकस शिक्षा को मजबूती देने के साथ नई शिक्षा नीति को राज्यों के साथ मिलकर लागू करना है।

इसी बीच प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर आए करीब दो लाख सुझावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नीति को अंतिम रूप दे रही टीम से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित नीति को लेकर आए सुझावों में बड़े पैमाने पर दोहराव था। यही वजह है कि इस काम को तय समय से पहले पूरा कर लिया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो

संसद में भी पेश होगी नीति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नई शिक्षा नीति को जल्दी ही इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो संसद में भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि कई वर्षों की मशक्कत के बाद नई शिक्षा नीति सामने आई है। इसे इसी साल 30 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा गया था। प्रस्तावित नीति को इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तैयार किया था।

मिशेल की याचिका पर ईडी व सीबीआइ से मांगा जवाब

क्रिश्चियन मिशेल फाइल फोटो

जासं, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने सीबीआइ और ईडी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआइ ने भ्रष्टाचार और व ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। वह 5 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए उसने दलील दी है कि पूरा मामला दस्तावेज के रूप में मौजूद सुबूत पर आधारित है और सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं। ये सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश भी किए जा चुके हैं। वीवीआइपी हेलीकॉप्टर के कांट्रेक्ट में भारत सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। वह किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहा है और इस वजह से उसका वजन भी काफी कम हुआ है।

हजेला के मप्र तबादले के लिए केंद्र ने समय मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार असम नेशनल सिटीजन रजिस्टर (एनआरसी) समन्वयक प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को 18 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि हजेला को सात दिनों में उनके मूल राज्य मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया जाए।

केंद्र के वकील ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ से गुरुवार को कहा कि हालांकि सरकार ने असम-मेघालय काडर के 1995 बैच के आइएएस अधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ और समय लगेगा। इस पीठ में जस्टिस एसए बोब्डे और जस्टिस एसए नजीर भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, 'आप याचिका दायर कीजिए।' हजेला को शीर्ष कोर्ट ने एनआरसी को अंतिम रूप देने और इसके आंकड़ों के प्रकाशन की संवेदनशील कवायद के लिए समन्वयक नियुक्त किया था। शीर्ष कोर्ट ने हजेला को अधिक संभव अवधि के लिए अंतर-काडर तबादले पर उनके गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया। पीठ ने यह आदेश पारित करने की कोई वजह स्पष्ट नहीं की लेकिन इससे इन अटकलों को बल मिला कि असम एनआरसी को अंतिम रूप से देने के विशाल और संवेदनशील काम की निगरानी के बाद इस अधिकारी को शायद किसी प्रकार के खतरे की आशंका है।

असम एनआरसी संबंधी याचिकाओं की सुनवाई पहले से ही 26 नवंबर तय है। असम की बहुप्रतीक्षित एनआरसी अंतिम रूप दिए जाने के बाद 31 अगस्त को प्रकाशित हुई थी और इससे राज्य में 19 लाख से अधिक आवेदकों के नाम बाहर कर दिए गए थे। एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए 3,30,27,661 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को इसमें शामिल किया गया है।

- सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी समन्वयक को उनके मूल राज्य में भेजने का आदेश दिया था

प्रतीक हजेला फाइल फोटो

चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने ईडी को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।

चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि मामले से जुड़े सभी सुबूत दस्तावेज के रूप में एजेंसी के पास हैं। ऐसे में इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हमेशा उपलब्ध रहे और जब भी समन किया गया उन्होंने पूछताछ में शामिल होकर सभी सवालों का जवाब दिया। अंतिम बार ईडी ने उनसे 8 फरवरी को पूछताछ की थी। बीते 16 अक्टूबर तक उनसे सवाल करने के लिए ईडी ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि वह 5 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जेल में थे। उन्होंने कहा कि 74 वर्ष की उम्र होने के कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वह हृदय-धमनी की बीमारी से जूझ रहे हैं।

आइएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआइ ने चिदंबरम को इस साल 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसमें ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

नई दिल्ली में गुरुवार को अदालत ने आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। प्रेट्र

अदालत में आए चिदंबरम ने चुनाव परिणामों पर कसा तंज

राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के बाहर चिदंबरम ने गुरुवार को ही आए चुनाव परिणामों पर तंज कसा। कहा कि शांत देशभक्ति दिखावे की राष्ट्रीयता को हरा देगी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर सौंप दिया। ईडी ने कहा कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है, जांच अहम पड़ाव से गुजर रही है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम की हिरासत बढ़ाई जाती है। उनको घर का खाना और एम्स में मेडिकल की सुविधा मिलती रहेगी।

न्यायमित्र बोले-मंत्रियों को बयानबाजी से बचना चाहिए

नई दिल्ली, आइएएनएस : सर्वोच्च न्यायालय में अभिव्यक्ति की आजादी की समीक्षा पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने गुरुवार को कहा, मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन अफसरों को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और फली नरिमन को न्यायमित्र नियुक्त किया है। यह दोनों निवार्चित प्रतिनिधियों और राजनेताओं को लंबित आपराधिक मामलों में बयानबाजी करने से रोकने संबंधी कवायद में अदालत के मददगार हैं। कोर्ट जानना चाहती है कि क्या नेताओं की बयानबाजी पर रोक से अभिव्यक्ति की आजादी के मूलभूत अधिकार का हनन होता है?

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दूसरे दिन साल्वे ने कहा, मंत्रियों और उच्च पदों पर आसानी लोगों को बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। चूंकि इससे सरकार के कामकाज पर भी असर दिखता है और फिर कुछ भी बोलने के एवज में सुरक्षा मांगी जाती है। कोर्ट ने पूछा कि जिस मामले में मंत्री को बोलने से रोकना पड़े, उसे आखिर किस तरह से संभाला जाए? इस पर साल्वे ने कहा कि प्रशासन से जुड़े लोगों या सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। चूंकि इससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है।

साल्वे ने सोशल मीडिया से होने वाली समस्याओं का भी हवाला देते हुए कहा कि इससे सबसे अधिक निजता का अधिकार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि फेसबुक, वाट्सएप यूजर के मामले में कई दफा निजता प्रभावित होती है। आज गैर सरकारी कंपनियां या संस्थाएं का व्यापक नियंत्रण होता है। साथ ही निजी कंपनियां भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों पर नजर रखती हैं।

- अभिव्यक्ति की आजादी की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा जारी
- न्यायमित्र साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को दी सलाह

केंद्र की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की तैयार हो रही कुंडली

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने केंद्र सरकार की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों संग सख्ती से निपटने के लिए ऐसे लोगों की कुंडली तैयार करनी शुरू कर दी है। ब्योरा जुटाने के बाद संपत्तियों से अवैध कब्जेदारों को हटाने की कवायद शुरू होगी।

एक अधिकारी ने बताया, 'अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों की सूची तथा उनके कब्जे वाली जमीन का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सूचनाओं को 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।' सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी जानकारी मांगी है कि जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने सरकारी जमीन, बंगलों व फ्लैटों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद लेने का फैसला किया है। योजना के तहत एक संपत्ति पर दो निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जो दिन-रात उसकी रक्षा करेंगे। इससे पहले सुरक्षाकर्मियों का दिल्ली पुलिस से सत्यापन कराया जाएगा।

कार्रवाई

एंटी करप्शन ब्रांच और रेलवे विजिलेंस यूनिट प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई, कबाड़ की नीलामी की फाइलें और दस करोड़ के जनरेटर को लेकर की छानबीन

मप्र में रेलवे स्प्रिंग कारखाने पर सीबीआइ का छापा

नईदुनिया, ग्वालियर

मध्य प्रदेश में ग्वालियर से करीब 12 किमी दूर सिथौली स्थित रेलवे के स्प्रिंग कारखाने पर गुरुवार को सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच एवं रेलवे की विजिलेंस यूनिट प्रयागराज की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। टीम के निशाने पर मुख्य रूप से जनरेटर खरीदारी एवं कबाड़ की नीलामी की फाइलें थी। 10 करोड़ में खरीदे गए जनरेटर को कबाड़ की तरह एक कोने में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) एवं पर्सनल ऑफिसर से पूछताछ की गई। हालांकि, एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से मामले में कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है।

रेलवे स्प्रिंग कारखाने में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर सीबीआइ को कई शिकायतें मिली थीं। इसमें उत्पादन प्रभावित होने वाली शिकायतें भी थीं। सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच की 25 सदस्यीय टीम गुरुवार दोपहर 12 बजे रेलवे स्प्रिंग कारखाने में पहुंची और जनरेटर खरीदारी एवं कबाड़ की नीलामी संबंधित फाइलें जब्त कीं। खरीदारी की फाइलों की भी जांच की गई। कंप्यूटर डाटा की पड़ताल से यह पता किया जा रहा है कि पिछले 6-7 साल में नीलाम किए गए कबाड़ की प्रक्रिया क्या रही है। जनरेटर का कितना और कब-कब उपयोग हुआ है। कार्रवाई के दौरान कारखाने के कर्मचारियों को दूर रखा गया। कारखाने के बाहर तैनात आरपीएफ के जवानों को भी अंदर चल रही कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई।

करोड़ों के जनरेटर का उपयोग ही नहीं : कारखाने में डीजीएम एसके गुप्ता करीब छह साल तक पदस्थ रहे थे। जब रेलवे ने ट्रांसफर किया तो जुगाड़ लगाकर दोबारा स्प्रिंग कारखाने में पहुंच गए। सीबीआइ को यहां आर्थिक अनियमितताओं को लेकर शिकायतें पहले से मिल रही थीं, इसलिए डीजीएम के दोबारा यहां पदस्थ होते ही जांच एजेंसी सतर्क हो गई। सीबीआइ ने डीजीएम गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में पता चला कि कारखाने में 10 करोड़ के उच्च गुणवत्ता के जनरेटर खरीदे गए थे। इसे लेकर तर्क दिया गया था कि यहां अक्सर बिजली की लाइन ब्रेक होती है। प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, इसलिए जनरेटर की खरीदारी जरूरी है। चौंकाने वाली बात ये है कि जनरेटर का उपयोग किया ही नहीं गया और इन्हें कबाड़ की तरह एक कोने में डाल दिया गया।

प्रतीकात्मक फोटो

कुप्रबंधन के कारण फैक्ट्री को घाटा

रेलवे स्प्रिंग कारखाने की स्थापना 1989 में हुई थी। यह देश के सबसे बेहतरीन स्प्रिंग कारखानों में शुमार है। यहां पर हैली केल हॉट क्वाइल स्प्रिंग बनाई जाती है, जिसका उपयोग सामान्य के साथ ही एलएचवी कोच में भी होता है। बेहतरीन क्वालिटी की स्प्रिंग का निर्माण एवं बहुत ज्यादा मांग होने के बाद भी फैक्ट्री का घाटे में जाना रेलवे एवं सीबीआइ को गले नहीं उतर रहा था। यह प्लांट एलपीजी से संचालित होता है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ को प्राथमिक जांच में पता चला कि डीजीएम के कुप्रबंधन के कारण ही फैक्ट्री घाटे में जा रही है।

जमानत रद करने की ईडी की याचिका पर सना से मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : मीट कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी सतीश सना बाबू की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सतीश सना से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने सना को जवाब दाखिल करने का निर्देश देने हुए सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी ने 19 अगस्त को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। ईडी की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउसंल अमित महाजन ने कहा कि जांच एजेंसी ने तमाम सुबूत जुटाए हैं जिनसे पता चलता है कि सना मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। इस मामले में बड़े पैमाने में नौकरशाह ही नहीं अन्य लोग भी शामिल रहे, जो नौकरशाहों के तरफ से रुपये एकत्रित करते थे। सना को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई क्योंकि मामले में मोईन कुरैशी को जमानत दी गई, जबकि कुरैशी की जमानत को भी ईडी ने चुनौती दी है।

कह के रहेंगे माधव जोशी